रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 359] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 1982/अग्रहायण 9, 1904
No. 359] NEW DELHI, TUESDAY, NOV. 30, 1982/AGRAHAYANA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1982

सं० 261-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 725(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड 1 के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 216-सीमाशुल्क [सा०का०नि० सं० 581(अ)] तारीख 1 अक्तूबर, 1982 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात उक्त अधिसूचना के नीचे

की अनुसूची में क्रम सं० 14 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
14	पौंड स्टर्लिंग	6.3635

[फा० सं० 503/4/82-सीमाशुल्क-6]

ए० सी० बक, अवर सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1982

No. 261|CUSTOMS

G.S.R. 725(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 216-Cus. [G.S.R. No. 581(E)], dated the 1st October, 1982 namely :—

In the Schedule below the said notification, for serial No. 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
14	Pound Sterling	6.3635

[F.No. 503|4|82-CUS.VI]

A.C. BUCK, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110 64
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982